467

संख्या–108/XV-2/01(04)/2006

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2014:

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में डेरी विकास विभाग को आयोजनेत्तर पक्ष के निदेशन एवं प्रशासन में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2577–79/लेखा/पुनर्विनियोग प्रस्ताव आयो0/2013–14, दिनांक 17 फरवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में डेरी विकास विभाग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 2.25 लाख (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0–9 में उल्लिखित विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. निदेशक, डेरी द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि की फाँट कर पाँच दिवस के भीतर जिला–स्तरीय अधिकारियों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
4. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शसन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेंगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा।

कमशः2

- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा तथा संलग्नक–बी0एम0–9 के कॉलम संख्या–1 में दर्शायी गई मदों की बचतों से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या–99NP/XXVII-4/2014 दिनांक 07 मार्च, 2014 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न–बी0एम0–9

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 108 (1)/XV-2/2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।